बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—::संकल्प::—

पटना—15, दिनांक......................

श्री राम रंजन सिंह, बि0प्र0से, कोटि क्रमांक 826/24, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज, सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 1157 दिनांक 06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विशेष निगरानी इकाई, पटना की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप में दिनांक 03.09.2024 को इनके आवास से गिरफ्तार किया एवं SUV P.S Case No.-03/2024 के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2024 को केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेज दिया गया। श्री सिंह को स्पेशल जज विजिलेंस, पटना के आदेश के आलोक में दिनांक 19.10.2024 को केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना से जमानत पर रिहा किया गया। श्री सिंह द्वारा दिनांक 21.10.2024 को अपना योगदान समर्पित किया गया।

आरोपों की गंभीरता के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—18487 दिनांक—19.11.2024 से श्री सिंह को कारा से रिहा होने की तिथि—19.10.2024 को कारा विमुक्ति के उपरान्त निलंबनमुक्त करते हुए दिनांक—21.10.2024 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया। तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—18488 दिनांक—19.11.2024 द्वारा श्री सिंह का मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण निर्धारित करते हुए उन्हें आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 1310 दिनांक 12.12.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर उस पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र की प्रति साक्ष्य अभिलेखों के साथ भेजते हुए विभागीय पत्रांक—17 दिनांक—01.01.2025 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित करने के बजाय कतिपय साक्ष्य अभिलेखों की मांग की गयी। विभाग में उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख प्राप्त कराये जाने के बाद भी श्री सिंह द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेखों की मांग की गयी। लिखित अभिकथन समर्पित करने के लिए अंतिम रूप से स्मारित करने के बाद श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिनांक—16.06.2025 इस विभाग को समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12770 दिनांक 11.07.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17(2) एवं 17(5) के संगत प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। सम्प्रति जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

श्री सिंह की निलंबन अवधि के एक वर्ष हो जाने एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण जीवन—निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी हेतु इनके द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एंव अनुशासनिक कार्यवाही में उनकी उपस्थिति एवं सहयोग किये जाने के

बिन्दु पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह अनुशासनिक कार्यवाही में सहयोग कर रहे हैं। संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के जीवन निर्वाह भत्ता में पचास प्रतिशत (50%) बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के प्रावधानों के तहत श्री राम रंजन सिंह, बि0प्र0से, कोटि क्रमांक 826/24, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज, सिवान सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में पचास प्रतिशत (50%) बढ़ोतरी की जाती है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

निबंधित/ स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–21/2024 सा0प्र0 1362 **/पटना–15, दिनांक** 19.01.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/श्री राम रंजन सिंह, बि0प्र0से, कोटि क्रमांक 826/24, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज, सिवान, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/1/26

सरकार के अपर सचिव।